

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू,
गिरधर सिंह बनाम तहसीलदार पीपलू,
किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 94 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
27 ⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
30 ⁰⁵ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप। पत्रावली वाक्ये तलबी दिनांक 10.06.25 को पेश है।</p>	
10 ⁰⁶ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उप। तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। उपपक्ष को उपपक्ष रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उपपक्ष सुनी गई, पत्रावली का अनलोकन किया गया व उपपक्ष की बहस पर मनन किया जाकर प्रस्तुत प्र.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली निर्णय नुसार होकर उपपक्ष दखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से बहस है।</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	